न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
06/2026 प्रा.पत्र/2026	05.01.2026	23.01.2026
जीसीएमएस नं0 11/2026		

1 श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी निवासी पुलिस थाना के पीछे, जहाजपुर नाका, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज.।
2 श्री राम भोजनालय एवं मिष्ठान भण्डार, पुलिस थाना के पीछे, जहाजपुर नाका, देवली जिला टोंक राज.।

.....प्रार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक तह. व जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन बाबत निर्णय दिनांक 04.07.2022
प्रकरण संख्या 03/2012

उपस्थित–
1–अभिभाषक प्रार्थीगण श्री पंकज कुमार एड.।
2–राजकीय पेरोकार (खाद्य सुरक्षा अधि.) उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 23/1/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थी के खिलाफ एक प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 के अन्तर्गत पेश किया था जिसमें प्रार्थी पर अवमानक (Sub-Standard) स्तर की मावा बर्फी का विक्रय करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थी पर जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.07.2022 को उक्त प्रकरण का निर्णय करते हुए प्रार्थीगण पर 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रुपये) जुर्माना राशि आरोपित की गई थी। प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय में पुनरावलोकन हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की जाकर न्यायालय हाजा की संबंधित मिसल संलग्न की गयी। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष को सुना गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थी के खिलाफ एक प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 के अन्तर्गत पेश किया था। आवेदन पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिनांक 07.09.2012 से जारी किया गया जिसमें प्रार्थी की ओर से श्री अजय सिंह सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से दिनांक 24.01.2013 को जवाब पेश किया गया एवं अप्रार्थी के साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत की गई। दिनांक 14.02.2013 को अप्रार्थी ने अपनी साक्ष्य हेतु अवसर चाहा और लागातार दिनांक 01.07.2022 तक अपनी साक्ष्य कराये जाने हेतु करीब 9 से 10 वर्ष तक अवसर चाहते रहे। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य बन्द किये ही दिनांक 04.07.2022 को प्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए व प्रार्थी को बिना सुने ही उसकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। साथ ही इस संबंध में प्रार्थी को जुर्माने के संबंध में कोई सूचना भी नही दी गई। प्रार्थी को सुनवाई हेतु उचित अवसर प्रदान नहीं किये गये और ना ही प्रार्थी की साक्ष्य लेखबद्ध किये गये। प्रार्थी के अभिभाषक की अनुपस्थिति गलत रूप से दर्ज की गई है, जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता को कोई आवाज नहीं लगवायी गई। प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम वसूली का नोटिस दिनांक 15.12.2025 को प्राप्त होने पर हुई है जिसके बाद तुरन्त नकल प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र बाबत पुनर्विलोकन न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का उचित अवसर देकर निर्णय का पुनरावलोकन करने का श्रम फरमावें।

पेरोकार सरकार (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी जिस **मावा बर्फी** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी मे आता है जिसमें अधिकतम 5,00,000/– (अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रकरण का निर्णय दिनांक 04.07.2012 सही एवं विधिसम्मत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन निरस्त फरमाया जावें।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व प्रकरण से संबंधित न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी जिस **मावा बर्फी** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में प्रार्थी के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
लोक

अभिभाषक को उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था तथा प्रार्थी को बिना सुने ही निर्णय दिनांक 04.07.2012 पारित कर दिया गया था। प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थी एक लघु स्तर के उद्योग को चलाता है। प्रार्थी ने आरोपित शास्ति जमा कराने में असमर्थता जाहिर की है एवं प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए शास्ति राशि लगाने हेतु निवेदन किया। उक्त नमूने की लेब रिपोर्ट में 7 मानकों में से मात्र 1 मानक पर आशिक विचलन पाया गया है शेष मानकों को नमूना पूर्ण करता है। ऐसी स्थिति में हम न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2012 में हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते है तथा नरमायी का रूख अपनाते हुए प्राथी पर जुर्माना राशि 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। प्रार्थी उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/11/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंधिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज